

Commercial & Interstate Permit Application

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग · तैयार किया गया 14 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

वाणिज्यिक वाहन हेतु परमिट — राष्ट्रीय, अखिल-भारतीय पर्यटक, अनुबंध/मंच/माल वाहक या अस्थायी — RTO/राज्य परिवहन प्राधिकरण से लिया जाता है। यह टूल सही परमिट व दस्तावेज़ तैयार करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

सही परमिट प्रकार, संबंधित प्राधिकरण/राज्य, शुल्क/कर और दस्तावेज़-सेट सहित आवेदन तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

आउटपुट का उपयोग RTO/राज्य परिवहन प्राधिकरण में सही परमिट हेतु आवेदन दाखिल करने, फिटनेस/बीमा/कर/PUCC दस्तावेज़ जुटाने, और परमिट व प्राधिकरण शुल्क चुकाने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

क्षेत्रीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण (RTA/STA), या राष्ट्रीय परमिट प्राधिकरण — RTO या परिवहन पोर्टल के माध्यम से।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

परमिट (राष्ट्रीय, अखिल-भारतीय पर्यटक, अनुबंध/मंच/माल वाहक या अस्थायी) हेतु RC, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, कर व PUCC सहित आवेदन करें; शामिल राज्यों हेतु काउंटर-हस्ताक्षर आवश्यक।

शुल्क और खर्च

परमिट शुल्क और राष्ट्रीय/अंतर-राज्यीय प्राधिकरण व राज्य कर; वैधता व नवीनीकरण परमिट-प्रकार अनुसार।

इसकी जाँच किससे कराएँ

परमिट श्रेणी व शामिल राज्यों से परिचित परिवहन सलाहकार या RTO एजेंट।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

गलत परमिट प्रकार या समाप्त फिटनेस/बीमा ज़रूरी व जुर्माना लाता है; राष्ट्रीय परमिट हेतु हर राज्य का प्राधिकरण व कर चाहिए। वर्तमान शुल्क व नियम RTO से पुष्टि करें।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।